

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-20072026-274644
SG-DL-E-20072026-274644असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 189]	दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 14, 2026/आषाढ 23, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 113
No. 189]	DELHI, TUESDAY, JULY 14, 2026/ASHADHA 23, 1948	[N. C. T. D. No. 113

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (डीओपी) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 14 जुलाई, 2026

सं. फा. 11/59/गृह —डीओपी/2025/576-589.— भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी, एतद् द्वारा श्री अखंड प्रताप सिंह, अधिवक्ता को दिल्ली पुलिस द्वारा दिनांक 15.10.2025 के अपने पत्र के माध्यम से यथा प्रस्तावित निम्नलिखित शुल्क संरचना पर 3/4/मोकाका की धारा के अन्तर्गत, 174ए आईपीसी के संदर्भ में पुलिस स्टेशन अपराध शाखा, दिल्ली में एफआईआर सं० 197/2019 के मामले में माननीय परीक्षण न्यायालय के साथ-साथ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए 'विशेष लोक अभियोजक' के रूप में नियुक्त करते हैं।

क्र०सं०	कार्य का विवरण	प्रस्तावित भुल्क
1	उपस्थिति शुल्क (प्रति प्रभावी सुनवाई)	40,000 /— रुपये
2	उपस्थिति शुल्क (गैर प्रभावी सुनवाई)	20,000 /— रुपये
3	सम्मेलन/परामर्श शुल्क (प्रति सम्मेलन)	20,000 /— रुपये
4	याचिका, आपराधिक पुनरीक्षण, अपील आदि का प्रारूपण	1,00,000 /— रुपये
5	प्रति आवेदन प्रारूपण शुल्क	25,000 /— रुपये
6	आवेदन के उत्तर आदि का प्रारूपण	25,000 /— रुपये
7	लिपिकीय	कुल बिल राशि का 10 प्रतिशत

यह माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
एल० के० गौतम, उप-सचिव (गृह-डीओपी)

HOME (DOP) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 14th July, 2026

No. F. 11/59/H-DOP/2025/576-589.— In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 18 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023, the Competent Authority is pleased to appoint Sh. Akhand Pratap Singh, Advocate as Special Public Prosecutor to represent the State before the Ld. Trial Court as well as Hon'ble High Court of Delhi in the matter of case FIR No. 197/2019 u/s 3/4 MCOCA r/w 174AIPC, PS Crime Branch, Delhi on the following fee structure as proposed by Delhi Police vide their letter dated 15.10.2025:-

S. No.	Detail of work	Proposed Fee
1	Appearance fee (per effective hearing)	Rs. 40,000/-
2	Appearance fee (per non-effective hearing)	Rs. 20,000/-
3	Conference/consultation fee (per conference)	Rs. 20,000/-
4	Drafting Petition, Criminal Revision, Appeal, etc.	Rs. 1,00,000/-
5	Drafting fee per application	Rs. 25,000/-
6	Drafting reply to application, etc	Rs. 25,000/-
7	Clerkage	10% of the total bill

This issues with the approval of Hon'ble Lieutenant Governor, GNCT of Delhi.

By Order and in The Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi
L.K.GAUTAM, Dy. Secretary (Home-DOP)